<u>कार्यालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)</u>

–:: विविध आदेश ::–

कमांक 1870/कार्या./2020 **रायपुर, दिनांक 14.12..2020**

वर्तमान में वैश्विक कोरोना वायरस संकट को देखते हुये माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेश कमांक 79 दिनांक 15.07.2020 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों का नियमित और सामान्य कामकाज स्थगित रखे जाने का निर्देश दिया गया था, जिसके अग्रसरण में माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेश कमांक 114 दिनांक 16.10.2020 के द्वारा दिनांक 17.11.2020 से न्यायालयों का नियमित और सामान्य कामकाज चरणबद्ध तरीके से पुनः प्रारंभ किये जाने का आदेश दिया गया है। जिसके अनुपालन में दिनांक 17.11.2020 से जिला न्यायालय रायपुर एवं सिविल जिला रायपुर के बाह्य न्यायालयों का सामान्य और नियमित कामकाज निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रारम्भ किया गया है :–

(1) उक्त अवधि में मात्र निम्नलिखित मामलों पर ही सुनवाई की जायेगी :–

1– रिमाण्ड प्रकरण ।

2– जमानत प्रकरण ।

3– सुपुर्दनामा प्रकरण ।

4– सिविल और दांडिक अपील एवं रिवीजन ।

5– विचाराधीन बंदियों से संबंधित दांडिक मामले ।

6– 05 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित सिविल और दांडिक मामले ।

7– मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण ।

8– मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में जमा दावा राशि आहरण से संबंधित मामले ।

9– माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा समय–सीमा में निराकरण हेतु निर्देशित सिविल और दांडिक मामले ।

10– अन्य अत्यावश्यक प्रकृति के सिविल और दांडिक मामले, जिन्हें संबंधित न्यायालय सुनवाई हेतु अनुमति प्रदान करे।

11– महिलाओं एवं बच्चों पर लैंगिक हमला के संबंधित मामलों का विचारण ।

(2) उपरोक्त वर्णित मामलों की सुनवाई हेतु निम्नलिखित न्यायालय उनके सम्मुख दर्शित तारीखों में न्यायालयीन समय 11.00 से 2.00 बजे तक प्रकरणों की सुनवाई और विधिवत निराकरण करेंगे:–

उच्चतर न्यायिक सेवा के न्यायालय–(सारिणी कमांक–01)

समूह–01 –

स.क.	नाम	पदनाम/न्यायालय का नाम	सुनवाई हेतु बैठक की तारीख
1.	श्री राम कुमार तिवारी	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर	01.01.2021, 06.01.2021, 12.01.2021, 18.01.2021, 22.01.2021, 28.01.2021, 02.02.2021, 06.02.2021, 11.02.2021, 17.02.2021, 23.02.2021, 27.02.2021
2.	श्री विजय कुमार होता	विशेष न्यायाधीश, एट्रोसिटीज ,रायपुर	
3	श्रीमती लीना अग्रवाल	प्रथम अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,रायपुर	
4.	श्रीमती प्रतिभा वर्मा	तृतीय अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,रायपुर	
5.	श्री आनंद प्रकाश दीक्षित	अतिरक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश,रायपुर	

समूह–02 –

1.	श्रीमती सरिता दास	पंचम अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर	02.01.2021, 07.01.2021, 13.01.2021, 19.01.2021, 23.01.2021, 29.01.2021, 03.02.2021, 08.02.2021, 12.02.2021, 18.02.2021, 24.02.2021
2.	श्री बलाराम साहू	षष्ठम अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,रायपुर	
3.	श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा	अष्टम अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर	
4.	श्री अनिल कुमार पाण्डेय	दशम अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,रायपुर	
5	श्री राजीव कुमार	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम एफ.टी.सी. न्यायालय "पाक्सो"	

समूह–03 –

1.	श्री सुमीत कपूर	एकादश अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर	04.01.2021, 08.01.2021, 14.01.2021, 20.01.2021, 25.01.2021, 30.01.2021, 04.02.2021, 09.02.2021, 15.02.2021, 19.02.2021, 25.02.2021
2.	श्री विकम प्रताप चन्द्रा	द्वादश अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,रायपुर	
3.	श्री सुरेश जून	प्रथम अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, रायपुर	
4.	श्री विवेक कुमार वर्मा	चतुर्थ अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,रायपुर	
5	कु.राधिका सैनी	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय एफ.टी.सी. न्यायालय "पाक्सो"	

समूह–04 –

1	श्रीमती शोभना कोष्टा	द्वितीय अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर	05.01.2021, 11.01.2021, 15.01.2021, 21.01.2021, 27.01.2021, 01.02.2021, 05.02.2021, 10.02.2021, 16.02.2021, 22.02.2021, 26.02.2021
2	श्री सुनील नंदे	विशेष न्यायाधीश, सी.बी.आई.न्यायाधीश,रायपुर	
3.	श्री राकेश कुमार वर्मा	प्रथम अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, एवं विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. रायपुर	
4.	श्रीमती पूजा जायसवाल	अति.जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी. न्यायालय, रायपुर	
5	श्री राजीव कुमार	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम एफ.टी.सी. न्यायालय "पाक्सो"	

सिविल न्यायाधीशों के न्यायालय–(सारिणी कमांक–02)

समूह–01 –

स.क.	नाम	पदनाम/न्यायालय का नाम	सुनवाई हेतु बैठक की तारीख
1.	श्री भूपेन्द्र कुमार कुमार वासनिकर	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर	01.01.2021, 06.01.2021, 12.01.2021, 18.01.2021, 22.01.2021, 28.01.2021, 02.02.2021, 06.02.2021, 11.02.2021, 17.02.2021, 23.02.2021, 27.02.2021
2.	श्री पंकज आलोक तिर्की	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर	
3.	श्री गिरिवर सिंह राजपूत	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 रायपुर	
4.	कुमारी चेतना ठाकुर	त्रयोदश व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 रायपुर	
5.	कु. मंजूषा टोप्पो	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 रायपुर	
6	श्री जनक कुमार हिड़को	अष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 रायपुर	
7	कु. संजूलता देवांगन	सप्तदश व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 रायपुर	

समूह–02 –

1.	श्री पवन कुमार अग्रवाल	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 रायपुर	02.01.2021, 07.01.2021, 13.01.2021, 19.01.2021, 23.01.2021, 29.01.2021, 03.02.2021, 08.02.2021,
2.	श्री ओम प्रकाश साहू	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 रायपुर	
3.	कु. रूपल अग्रवाल	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 रायपुर	
4.	कु. नम्रता नोरगे	पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 रायपुर	
5.	कु. प्रीति नागवंशी	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 रायपुर	

6	श्री अंशुल मिंज	अष्टदश व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 रायपुर	12.02.2021, 18.02.2021, 24.02.2021
7	श्री विरेन्द्र सिंह	नवमदश व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 रायपुर	

समूह–03 –

1.	श्री विजेन्द्र सोनवानी	पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 एवं विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट, रायपुर	04.01.2021, 08.01.2021, 14.01.2021, 20.01.2021, 25.01.2021, 30.01.2021, 04.02.2021, 09.02.2021, 15.02.2021, 19.02.2021, 25.02.2021
2.	श्रीमती कल्पना भगत	अष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 रायपुर	
3.	श्री ईशान ब्यास	नवम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 रायपुर	
4.	श्री राहुल शराफ	दशम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 रायपुर	
5.	श्री सत्यानंद प्रसाद	एकादश व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 रायपुर	
6	श्री हिमांशु आर्य	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–दो के सप्तम अतिरिक्त न्यायाधीश, रायपुर	
7	श्री आशीष भगत	पंचदश व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 रायपुर	

समूह–04 –

1.	श्री भूपेन्द्र कुमार कुमार वासनिकर	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर	05.01.2021, 11.01.2021, 15.01.2021, 21.01.2021, 27.01.2021, 01.02.2021, 05.02.2021, 10.02.2021, 16.02.2021, 22.02.2021, 26.02.2021
2.	डॉ0 सुमीत सोनी	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 रायपुर	
3.	श्री दीपक कुमार शर्मा	द्वादश व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 रायपुर	
4.	कु. चेतना ठाकुर	त्रयोदश व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 रायपुर	
5.	श्री कृष्ण मुरारी शर्मा	चतुर्दश व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 रायपुर	
6.	श्रीमती मीनाक्षी नाग	षष्ठदश व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 रायपुर	
7	श्री नीरज श्रीवास्तव	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 रायपुर	

(3) उपरोक्त समस्त उच्चतर न्यायिक सेवा के न्यायाधीश तथा सिविल न्यायाधीश प्रतिदिन उनके नाम, पदनाम के सम्मुख अंकित तारीख पर न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायालयीन समय 11.00 से 2.00 बजे इस आदेश की कंडिका–2 में उल्लेखित और माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित न्यायिक कार्य का संपादन करेंगे। उसके अलावा रिमाण्ड एवं अन्य अत्यावश्यक कार्य हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर द्वारा पृथक से ड्यूटी आदेश जारी किया जायेगा।

(4) श्री सुमीत कुमार हर्षयाना, षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 एवं प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्याय बोर्ड, रायपुर के द्वारा प्रत्येक कार्यदिवस पर न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायालयीन समय 11.00 से 2.00 बजे तक, इस आदेश की कंडिका–2 में उल्लेखित और माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित न्यायिक कार्य का संपादन करेंगे। उसके अलावा रिमांड कार्य भी संपादित करेंगे।

(5) रायपुर मुख्यालय में स्थित समस्त विशेष न्यायाधीश उनके न्यायालय से संबंधित रिमांड कार्य का संपादन भी विधिवत, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार न्यायालय कक्ष में उपस्थित होकर संपादित करेंगे।

<u>सत्र एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय/ विशेष न्यायालय के जमानत कार्य हेतु व्यवस्था–</u>

(6) इस आदेश की कंडिका–2 के सारिणी कमांक–01 के समूह कमांक–01 के न्यायाधीशों में श्रीमती लीना अग्रवाल तथा श्री आनंद प्रकाश दीक्षित, समूह कमांक–02 के न्यायाधीशों में श्री राजेन्द्र वर्मा एवं श्रीमती सरिता दास, समूह कमांक–03 के न्यायाधीशों में श्री सुरेश जून और श्री विकम चन्द्रा तथा समूह कमांक–04 के न्यायाधीशों में श्रीमती शोभना कोष्टा, एवं श्री राकेश वर्मा उक्त सारिणी में न्यायधीशों के नाम और पदनाम के समक्ष दर्शित दिनांकों को दोपहर 3.00 से 5.00 बजे के मध्य अपने न्यायालय में उपस्थित होकर धारा 438, 439 दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रथम जमानत आवेदनों का निराकरण विधिवत करेंगे।

(7) उक्त न्यायाधीशगण द्वारा द्वितीय और पश्चातवर्ती जमानत आवेदन तथा लंबित प्रकरणों से संबंधित जमानत आवेदनों को सुनवाई हेतु ग्रहण नहीं किया जायेगा और न ही सुनवाई किया जायेगा। ऐसी स्थिति में द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती जमानत आवेदन उसी न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा जिनके द्वारा पूर्व जमानत आवेदन का निराकरण किया जा चुका है। पूर्व जमानत आवेदन निराकृत करने वाले न्यायाधीश की ड्यूटी जिस दिनांक को लगी है उसी दिनांक को जमानत आवेदन पेश किया जायेगा और उसी दिन उस जमानत आवेदन का संबंधित न्यायाधीश द्वारा निराकरण किया जायेगा। उसी प्रकार न्यायालयों में लंबित सत्र/ विशेष मामलों से संबंधित जमानत आवेदन भी उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी दिनांक को ही संबंधित न्यायालय में पेश किया जायेगा, जिनके द्वारा जमानत आवेदन का विधिवत निराकरण उसी दिन किया जायेगा।

(8) विशेष न्यायालयों से संबंधित जमानत आवेदन संबंधित विशेष न्यायालय के समक्ष रिमांड के समय या उक्त न्यायालय की बैठक के दिनांक को प्रस्तुत किये जायेंगे जिनके द्वारा जमानात आवेदनों का विधिवत निराकरण किया जायेगा।

(9) जमानत आदेश होने के पश्चात सत्र न्यायालय/ अतिरिक्त सत्र न्यायालयों/ विशेष न्यायालयों की बैठक जमानत प्रस्तुति दिनांक को न होने पर, उक्त दिनांक को ड्यूटी में उपस्थित रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष तस्दीक हेतु जमानत प्रपत्र प्रस्तुत किये जा सकते हैं जिनके द्वारा विधिवत कार्यवही की जायेगी।

<u>बाह्य न्यायालयों हेतु व्यवस्था –</u>

(10) दिनांक **17.11.2020** से बाह्य न्यायालय गरियाबंद, देवभोग, राजिम एवं तिल्दा में स्थित सभी न्यायालयों का नियमित और सामान्य कामकाज प्रारंभ हो चुका है, और उक्त न्यायालयों में प्रकरणों की कार्यवाही, सामान्य और नियमित रूप से प्रतिदिन कार्य दिवस पर न्यायालयीन समय 11.00 से 2.00 बजे के मध्य, इस आदेश की कंडिका–2 में उल्लेखित और माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित न्यायिक कार्य विधिवत संपादित की जायेगी। उसके अलावा विशेष न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय रिमांड कार्य का भी विधिवत संपादन करेंगे।

(11) उपरोक्त वर्णित प्रकरणों (इस आदेश की कंडिका–2 में उल्लेखित और माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित न्यायिक कार्य) के अलावा अन्य प्रकरणों की सुनवाई हेतु जिला न्यायालय, रायपुर एवं बाह्य न्यायालय गरियाबंद, तिल्दा, राजिम, देवभोग स्थित न्यायालयों के लिये निम्नानुसार तिथि समस्त सिविल एवं दांडिक प्रकरणों हेतु नियत किया जाता है, जिससे पूरे जिले में एकरूपता रहे और मात्र आगामी तारीख जानने हेतु अधिवक्ता एवं पक्षकारों को न्यायालय में भटकना न पड़े। उक्त प्रकरणों की सुनवाई इस कंडिका में दर्शित सारिणी के अनुसार उनके समक्ष अंकित तारीख पर की जायेगी। उक्त नियत तारीख में किसी भी पक्षकार या अधिवक्ता को न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, वे सीधे आगामी सुनवाई हेतु नियत दिनांक को उपस्थित होगें। परन्तु जिन प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण का निराकरण शीघ्रतापूर्वक या समय–सीमा पर किये जाने का निर्देश दिया गया हो, तो ऐसे प्रकरणों में पीठासीन अधिकारी स्वयं आगामी तारिख नियत करेंगे और तत्परता पूर्वक कार्यवाही करेंगे। आगामी तिथि नियमानुसार नियत किया जाता है :–

लंबित सिविल प्रकरणः—

कमांक	प्रकरण नियत दिनांक	आगामी सुनवाई हेतु नियत दिनांक
1.	01.01.2021	22.03.2021
2.	02.01.2021	23.03.2021
3.	04.01.2021	24.03.2021
4.	05.01.2021	25.03.2021
5.	06.01.2021	26.03.2021
6.	07.01.2021	27.03.2021
7.	08.01.2021	30.03.2021
8.	11.01.2021	03.04.2021
9.	12.01.2021	05.04.2021
10.	13.01.2021	06.04.2021
11.	14.01.2021	07.04.2021
12.	15.01.2021	08.04.2021
13.	18.01.2021	09.04.2021
14.	19.01.2021	12.04.2021
15.	20.01.2021	13.04.2021
16.	21.01.2021	15.04.2021
17.	22.01.2021	16.04.2021
18.	23.01.2021	19.04.2021
19.	25.01.2021	20.04.2021
20.	27.01.2021	22.04.2021
21.	28.01.2021	23.04.2021
22.	29.01.2021	24.04.2021
23.	30.01.2021	26.04.2021
24.	01.02.2021	27.04.2021
25.	02.02.2021	28.04.2021
26.	03.02.2021	29.04.2021
27.	04.02.2021	03.05.2021
28.	05.02.2021	04.05.2021

29.	06.02.2021	05.05.2021
30.	08.02.2021	06.05.2021
31.	09.02.2021	07.05.2021
32.	10.02.2021	10.05.2021
33.	11.02.2021	11.05.2021
34	12.02.2021	12.05.2021
35	15.02.2021	13.05.2021
36	16.02.2021	14.06.2021
37	17.02.2021	15.06.2021
38	18.02.2021	16.06.2021
39	19.02.2021	17.06.2021
40	22.02.2021	18.06.2021
41	23.02.2021	21.06.2021
42	24.02.2021	22.06.2021
43	25.02.2021	23.06.2021
44	26.02.2021	24.06.2021
45	27.02.2021	25.06.2021

लंबित दांडिक प्रकरण:--

कमांक	प्रकरण नियत दिनांक	आगामी सुनवाई हेतु नियत दिनांक
1.	01.01.2021	22.03.2021
2.	02.01.2021	23.03.2021
3.	04.01.2021	24.03.2021
4.	05.01.2021	25.03.2021
5.	06.01.2021	26.03.2021
6.	07.01.2021	27.03.2021
7.	08.01.2021	30.03.2021
8.	11.01.2021	03.04.2021
9.	12.01.2021	05.04.2021
10.	13.01.2021	06.04.2021

11.	14.01.2021	07.04.2021
12.	15.01.2021	08.04.2021
13.	18.01.2021	09.04.2021
14.	19.01.2021	12.04.2021
15.	20.01.2021	13.04.2021
16.	21.01.2021	15.04.2021
17.	22.01.2021	16.04.2021
18.	23.01.2021	19.04.2021
19.	25.01.2021	20.04.2021
20.	27.01.2021	22.04.2021
21.	28.01.2021	23.04.2021
22.	29.01.2021	24.04.2021
23.	30.01.2021	26.04.2021
24.	01.02.2021	27.04.2021
25.	02.02.2021	28.04.2021
26.	03.02.2021	29.04.2021
27.	04.02.2021	03.05.2021
28.	05.02.2021	04.05.2021
29.	06.02.2021	05.05.2021
30.	08.02.2021	06.05.2021
31.	09.02.2021	07.05.2021
32.	10.02.2021	10.05.2021
33.	11.02.2021	11.05.2021
34	12.02.2021	12.05.2021
35	15.02.2021	13.05.2021
36	16.02.2021	17.05.2021
37	17.02.2021	18.05.2021
38	18.02.2021	19.05.2021
39	19.02.2021	20.05.2021
40	22.02.2021	21.05.2021

41	23.02.2021	22.05.2021
42	24.02.2021	24.05.2021
43	25.02.2021	25.05.2021
44	26.02.2021	26.05.2021
45	27.02.2021	27.05.2021

"सामान्य निर्देश"

(1) माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक 114 दिनांक 16.10.2020 में जिन मामलों की अधीनस्थ न्यायालयों में सुनवाई का निर्देश दिया गया है उसके अलावा यदि किसी मामले को अत्यावश्यक मानते हुये तत्काल सुनवाई हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त आवेदन का निराकरण संबंधित न्यायालय द्वारा किया जायेगा और यह निर्धारित किया जायेगा कि मामला तत्काल सुनवाई योग्य है अथवा नहीं ।

(2) उक्त अवधि में जिस न्यायिक अधिकारी की बैठक जिस दिनांक को निर्धारित है, उसके न्यायालय से संबंधित नये सिविल एवं दांडिक मामलों/ अभियोग पत्र/ परिवाद पत्र की प्रस्तुति उक्त दिनांक को ही न्यायालयीन समय 11.00 से 2.00 बजे के मध्य में की जा सकती है। अवकाश या अन्य कारण से मूल पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थित रहने अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों द्वारा नये सिविल और दांडिक मामले मूल न्यायाधीश की उपस्थिति में ग्रहण नहीं किये जायेंगे।

(3) उक्त कार्य दिवस में प्रातः 11.00 से 2.00 बजे न्यायालयीन कार्य की अवधि मात्र इस आदेश की कंडिका–2 में उल्लेखित न्यायालयीन कार्य हेतु है। रिमाण्ड कार्य हेतु पृथक से आदेश जारी किया जायेगा, जिसके अनुसार रिमाण्ड और अन्य अत्यावश्यक कार्यो का संपादन दोपहर 03.00 से 05.00 बजे के मध्य किया जायेगा।

(4) उक्त अवधि में प्रत्येक न्यायालय द्वारा प्रकरणों को इस प्रकार सुनवाई हेतु नियत किया जायेगा जिससे न्यायालय में अनावश्यक भीड़भाड़ न हो और समाजिक और व्यक्तिगत दूरी का पालन करते हुये कोविड संक्रमण से बचाव हो सके। सभी अधिवक्ता और पक्षकार और अन्य व्यक्ति एकदूसरे से न्यूनतम दो गज की दूरी बनाते हुये न्यायालय कक्ष और परिसर में उपस्थित होंगे।

(5) उक्त अवधि में न्यायालय परिसर में उपस्थित होने वाले सभी अधिवक्तागण और पक्षकार कोविड संक्रमण से रखरखाव हेतु केन्द्र और राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

(6) उक्त अवधि में न्यायालय परिसर एवं न्यायालय कक्ष में समस्त अधिवक्तागण एवं पक्षकार फेस मास्क का उपयोग करते हुये ही न्यायालय परिसर में प्रवेश करेंगे। बिना फेस्क मास्क के न्यायालय परिसर में प्रवेश करना प्रतिबंध रहेगा तथा बिना फेस मास्क के न्यायलय परिसर में प्रवेश करते पाये जाने पर ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध उचित कानूनी एवं दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(7) उसी प्रकार उक्त अवधि में कोविड 19 के बचाव हेतु अधिवक्तागण एवं पक्षकार तथा अन्य समस्त संबंधित व्यक्ति हेण्ड सेनेटाइजेसन और अन्य मानकों का भी पूर्ण ध्यान रखेंगे।

(8) उक्त अवधि में मात्र उन अधिवक्ताओं व पक्षकार को न्यायालय परिसर में प्रवेश दिया जायेगा जिनका प्रकरण सुनवाई हेतु नियत है अथवा जिन्हें कोई मामला दायर करना है। उक्त संबंध में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा कि किसी अधिवक्ता या पक्षकार की न्यायालय में उपस्थिति आवश्यक है अथवा नहीं । पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी अधिवक्ता या पक्षकार को न्यायालय कक्ष में प्रवेश आवश्यक न होने पर रोका जा सकता है। उसी प्रकार न्यायालय परिसर में भी अनावश्यक रूप से व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जायेगा।

(9) उक्त अवधि में न्यायालय परिसर में प्रवेश गेट नंबर–1 (सी.एस.ई.बी. कार्यालय) की ओर से किया जायेगा तथा निकासी गेट नंबर–3 (खालसा स्कूल मार्ग) से होगी।

(10) यदि न्यायालय परिसर को राज्य शासन या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अवधि के लिये कंटेनमेंट जोन (रेड जोन) घोषित कर दिया जायेगा और संपूर्ण लॉक डाउन किया जाता है तो उक्त अवधि में न्यायालयों का कामकाज उसी प्रकार होगा जिस प्रकार दिनांक 17.11.2020 के पूर्व संचालित हो रहा था।

(11) जब प्रकरण आगामी तारीख हेतु नियत किये जाते हैं तो आगामी तारीख को तत्काल सी.आई.एस. साफ्टवेयर में अपडेट किया जाये और न्यायालय के सूचना पटल में भी आगामी तारीख की सूचना प्रतिदिन शाम को चस्पा की जाये जिससे अधिवक्तागण/पक्षकार को आगामी तारीख की जानकारी हो सके।

(12) यदि कोई पक्षकार किसी सिविल या दांडिक मामले में राजीनामा करना चाहता है, तो उसे अत्यावश्यक मामला समझा जायेगा और तत्काल सुनवाई की जायेगी।

(13) दांडिक प्रकरणों में विचाराधीन बंदियों को अतिआवश्यक होने पर ही न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया जायेगा अन्यथा यथासंभव वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

(14) यदि माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के आदेश कमांक 114 दिनांक 16.10.2020 द्वारा निर्धारित न्यायिक कार्य व्यवस्था में कोई परिवर्तन किया जाता है तो यह आदेश संशोधित या निरस्त किया जा सकता है।

सही/–

(राम कुमार तिवारी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रायपुर, छ.ग.

पृष्ठांकन कमांक 1871/कार्या./2020 **रायपुर, दिनांक 14.12.2020**

प्रतिलिपि :–

1. प्रस्तुतकार, न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर ।
2 विशेष न्यायाधीश सी.बी.आई, रायपुर ।
3. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), रायपुर।
4. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम/द्वितीय फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय रायपुर/गरियाबंद।
5 प्रथम/ द्वितीय /तृतीय /चतुर्थ/ पंचम/षष्ठम /सप्तम/अष्टम/नवम/ दशम/ एकादश/ द्वादश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर ।
6. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर/गरियाबंद।
7. प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के प्रथम/द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, रायपुर।
8. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम/अष्टम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक, रायपुर/गरियाबंद।
9. प्रथम/द्वितीय/ तृतीय/ चतुर्थ/ पंचम/ सप्तम/ अष्टम/ नवम/दशम/ एकादश/ द्वादश/त्रयोदश/चतुर्दश/ पंचदश/ षष्ठदश/ सप्तदश/ अष्टदश/ नवमदश व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–दो, रायपुर/तिल्दा/राजिम/देवभोग ।
10. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–दो के सप्तम अतिरिक्त न्यायाधीश, रायपुर ।
11. अध्यक्ष, किशोर न्याय बोर्ड रायपुर/गरियाबंद। (जे.एम.एफ.सी. राजिम)
12. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, रायपुर/गरियाबंद/तिल्दा/राजिम/ देवभोग की ओर आदेश की प्रतिलिपि (उनके न्यायालयों) के नोटिस बोर्ड पर अधिवक्तागण एवं जन सामान्य की जानकारी हेतु चस्पा करने हेतु ।

13 प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर शाखा की ओर आदेश की प्रतिलिपि इस निर्देश के साथ प्रेषित की आदेश की प्रतिलिपि जिला न्यायालय रायपुर के वेबसाईट में तत्काल अपलोड कराये।

14 प्रभारी अधिकारी समस्त अनुभाग एवं समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी की ओर अपने–अपने अनुभाग / न्यायालय में पदस्थ कर्मचारियों के मध्य सामान्य विधि से अथवा ई–मेल या वाट्सएप के माध्यम से प्रेषित करने हेतु।

15. अध्यक्ष / सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, रायपुर / अधिवक्ता संघ, गरियाबंद / तिल्दा / राजिम / देवभोग,

16. जिला अभियोजन अधिकारी, रायपुर

की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राम कुमार तिवारी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रायपुर, छ.ग.